169

COURT FEE TWENTY RUPEES CANCELLED — TEN RUPEES — TEN RUPEES CANCELLED

BEFORE THE BOARD OF REVENUE AT GWALIOR CIRCUIT BENCH AT JABALPUR

REVISION CASE NO. /2014

निग -1903-II-14

APPELLANT: Applicant — **GOPAL SINGH** S/o Umrao Singh, R/o Village Basendi, Tehsil Shahpura, District Jabalpur (MP)

-Versus-

श्री सुनील जोशी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतीकार
21 MAY 2014
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

RESPONDENTS: Non-applicants

1. **Omkar Singh**
2. Dashrath,
3. Komal
4. Hanumat

S/o - Umrao Singh and 2

All Non-applicants No.1 to 4 are resident Of Village Basendi, Tehsil Shahpura, District Jabalpur (MP)

364

REVISION UNDRE SECTION 50 OF THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE, 1959

Being aggrieved by the order dt 17-04-2014 confirmed by the Additional Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur in Revenue Appeal No. 28/V-608-09 parties being *"Gopal Singh -Vs- Omkar & others"* the Appellant/applicant prefers this Appeal before this Hon'ble Court amongst others grounds :-

FACTS

1- That, there is a Land against which the name of Appellant/applicant was entered in Government Records situated at Mauza- Basendi, Patwari Halka No. 41, Khasra No. 79/7, 173 Revenue Circle Pipariya-kala, Tehsil Shahpura, District Jabalpur.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1903–दो/14 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–8–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक अपील 28/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 17–4–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं मौजा बसेड़ी स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 79/7 तथा 173 आवेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । आवेदक की मां एवं अनावेदकों की सहमति से उक्त भूमि पर ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार आवेदक का नाम दर्ज हुआ था । अनावेदकों द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से अपना नाम दिनांक 2–10–06 द्वारा अपने दर्ज करा लिया है । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 27–12–07 द्वारा निरस्त की । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । 2/ आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम अनावेदकों एवं मां मुल्लीबाई की सहमति से दर्ज हआ था । बाद के नामांतरण में आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया । अनावेदकों नें फर्जी तरीके से अपना नाम पटवारी से मिल कर दर्ज करा लिया । उक्त तथ्यों को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है ।	

निग. - 1903-II/14 (उज्जैन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 3/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रकरण में अपर आयुक्त ने विस्तार से विवेचना के उपरांत यह पाया है कि अपीलकर्ता गोपालसिंह के नाम फोती नामांतरण पर से भूमि दर्ज की गई । उत्तरवादी मुन्नीबाई मृतक के वैध पुत्र थे पटवारी ने मुन्नीबाई के वैध उत्तराधिकारियों का कोई वंश वृक्ष पेश नहीं किया केवल ग्राम सभा के प्रस्ताव पर प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उसे शून्यवत घोषित कर ग्रामसभा के बाद के प्रस्ताव दिनांक 02-10-06 के अनुसार सभी वैध उत्तराधिकारियों के किए गए नामांतरण को स्थिर रखा है । मुन्नीबाई ने अपने जीवनकाल में आलोच्य भूमि को विधिवत अर्जित नहीं किया था और ना ही कोई वसीयत उसने की है इस कारण आवेदक को कोई वैधानिक अधिकार न होने से अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है । पुनरीक्षण में अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती आदेश में हस्तक्षेप का कोई अधिकार तब तक नहीं बनता है जब निष्कर्ष विपर्यस्त न हों । इस प्रकरण में ऐसा सिद्ध नहीं हो सका है । इसलिए अधीनस्थ न्यालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	—